

चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों के लिये पोर्टल लॉन्च

चर्चा में क्यों?

5 मार्च, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिये 'सरल पोर्टल' लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- अब आर्थिक सहायता के लिये आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, साथ ही 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का नरिणय लिया गया है।
- आवेदक अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम ने पोर्टल की जानकारी देते हुए बताया कि ज्यों ही आवेदक आर्थिक सहायता के लिये पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा त्यों ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, वधायक, अध्यक्ष ज़िला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास के लॉगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पाँच दिनों के भीतर अपनी सफारिश के साथ उपायुक्त को भेजेंगे।
- उपायुक्त संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सविलि सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिये भेजेगा।
- हर पखवाड़े में ज़िला स्तरीय समिति की बैठक होगी जिसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रपिर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगी।